

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) की दिनांक 23.05.2013 को सम्पन्न
बैठक का कार्यवृत्त.**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) की मार्च 2013 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 23.05.2013 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गयी।

बैठक में डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री अरुण सिंघल, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); डा० आदर्श सिंह, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एल.एम.; श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास); श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री एन. कृष्णन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) ने श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री अरुण सिंघल, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); डा० आदर्श सिंह, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एल.एम.; श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास); श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री एन. कृष्णन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन व बैठक में पधारे अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये कहा कि सदन में आप सभी की उपस्थिति निश्चय ही इस बात का परिचायक है कि हम सभी अपने प्रदेश तथा यहां की जनता के उत्थान के प्रति जागरूक हैं। श्री गर्ग ने निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- एस एल बी सी आंकड़ों के प्रेषण में Correctness, Consistency & Timeliness का विशेष महत्व है ताकि उपलब्धियों को सही तरह से दर्शाया जा सके. उन्होने बताया कि इस क्षेत्र में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है तथा सभी संबंधित विभागों से सहयोग की अपेक्षा की।
- विगत 15.01.2013 को माननीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक डा० डी. सुब्बाराव की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैंको द्वारा गत् 29.03.2013 को -300- शाखाओं की एक साथ शुरुआत कर वह कर दिखाया जो सम्भवतः दुनिया भर में ऐतिहासिक व अभूतपूर्व रहा है। इस कार्यक्रम की सराहना माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार श्री पी. चिदम्बरम व माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव द्वारा भी की गयी है।
- डी.बी.टी. योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के -6- चयनित जनपदों में दिनांक 01.07.2013 से करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत -26- चयनित योजनाओं के लाभार्थियों की



सूची का जनपदीय नोडल एजेन्सी द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधको को प्रेषण, बैंक खातों का आधार संख्या से लिंक किया जाना, बैंकिंग नेटवर्क यथा बैंक शाखा, बी.सी.ए./कॉमन सर्विस सेन्टर का विस्तार, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करना तथा सभी शाखाओं पर ऑन साइट ए.टी.एम. की स्थापना आदि महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर राज्य सरकार एवं सभी संबंधित बैंको द्वारा समयबद्ध कार्यक्रमानुसार वांछित कार्यवाही अपेक्षित है। उन्होने सभी संबंधित से इस दिशा में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही का आग्रह किया।

- बुनकर समुदाय हेतु भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुये श्री गर्ग ने नये वित्तीय वर्ष के दौरान -25,000- कार्डस जारी करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी बैंको द्वारा सहयोग की अपेक्षा की और अवगत कराया कि नोडल एजेन्सी द्वारा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु विभिन्न जनपदों में विशेष क्रेडिट कैम्पस आयोजित करने का कार्यक्रम तैयार किया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के क्रियान्वयन के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रदेश स्तर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में एक सब-कमेटी गठित की गयी है। वर्ष 2013-14 में चयनित -22- जनपदों के 22 विकास खण्डों में गहन क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग द्वारा रूपरेखा तैयार की गयी है एवं बैंको द्वारा इस दिशा में समग्र प्रयास आवश्यक है।

स्वागत संबोधन के अन्त में श्री गर्ग ने सभी संबंधित विभाग प्रमुखों, बैंको व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग व मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये पुनः इस बैठक में स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनन्दन करते हुये कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का मूल उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व सरकार के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाते हुये विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। उन्होंने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- 15 जनवरी 2013 को माननीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक डा० डी. सुब्बाराव की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैंको द्वारा शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 मार्च 2013 को आयोजित कार्यक्रम में माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार श्री पी. चिदम्बरम व माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव के करकमलों द्वारा -300- नयी शाखाओं की स्थापना कर जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसके लिये प्रदेश सरकार व बैंकर्स विशेष रूप से बधाई के पात्र है। साथ ही साथ ऋण जमा अनुपात में गत वर्ष के सापेक्ष दर्ज की गयी व्यापक वृद्धि पर भी उन्होने हर्ष व्यक्त किया एवं आशा व्यक्त की कि मार्च 2014 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बैंको द्वारा समग्र प्रयास किये जायेंगे। उन्होने विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का जिक्र करते हुये सभी शाखाओं में ए.टी.एम. की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करने हेतु आह्वाहन किया।
- डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार व बैंको द्वारा संयुक्त रूप से आवश्यक कार्यवाही अनिवार्य है ताकि दूसरे चरण में प्रदेश में चयनित -6-



जनपदों में यह कार्य सुचारू रूप से 01.07.2013 से प्रारम्भ किया जा सके। उन्होंने कहा कि निश्चय ही यह योजना बैंकों के लिये काफी लाभदायक सिद्ध होगी और बैंकों को व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

- "स्वाभिमान" योजना के अन्तर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले -16388- गावों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का कार्य बैंको द्वारा मार्च 2012 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है। इसी क्रम में 2000 से कम आबादी वाले -77421- गावों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु भी रोडमैप तैयार कर लिया गया है जिसकी अभी तक की प्रगति असंतोषजनक रही है। आवश्यकता इस बात की है कि बैंको द्वारा मार्च 2016 तक की अवधि हेतु तैयार एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक Disaggregation Plan का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जाना चाहिये। उन्होंने मार्च 2014 तक प्रत्येक शाखा में ए.टी.एम. की स्थापना, सभी पात्र किसानों को रूपे क्रेडिट कार्ड जारी करना, अल्ट्रा स्माल शाखाओं की स्थापना व नियमित संचालन, प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर नवीन निर्देशों की जानकारी दी तथा आह्वाहन किया कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को पूरी तनमयता से लागू करें ताकि बैंको को अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ ही लाभ प्रदत्ता भी हासिल हो।
- वार्षिक ऋण योजना 2012-13 के अन्तर्गत दर्ज 87.89 प्रतिशत की उपलब्धि की चर्चा करते हुये उन्होंने आह्वाहन किया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु तैयार एवं आज अनुमोदित ऋण योजना की शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु सभी स्तर पर कार्यरत प्रत्येक यूनिट को अपना योगदान करना चाहिये।
- प्रदेश में अल्प संख्यक समुदाय को प्रदत्त वित्तीय सुविधाओं की प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में नयी खोले जाने वाली शाखाओं का विस्तार किया जाये।
- प्रदेश में बैंक ऋण वसूली की स्थिति का जिक्र करते हुये उन्होंने राज्य सरकार से वांछित सहयोग का अनुरोध किया।
- अन्य महत्वपूर्ण विषयों यथा - आरसेटी संस्थानों हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि का आवंटन, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लम्बित सभी मार्जिन मनी खातों में कार्यवाही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी वसूली स्थगन आदेश को समाप्त किया जाना, बुनकरों हेतु भारत सरकार की विशेष राहत योजना का क्रियान्वयन जिसके अन्तर्गत Weavers' Credit Card के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जा रहे विशेष कैम्पस का सफल आयोजन, प्रदेश के -28- पूर्वी जिलो हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित बी.जी.आर.ई.आई. योजना का क्रियान्वयन, शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हुये श्री मूदंडा ने सभी स्टेक होल्डर्स को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु आमंत्रित किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन के अन्त में श्री एस. एस. मूदंडा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में विद्यमान अच्छे माहौल में बैंक व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास प्रक्रिया को नयी दिशा व गति प्राप्त होगी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से पधारे डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक ने निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-



- ✱ डी.बी.टी. योजना को प्रदेश के सभी -6- चयनित जनपदों में लागू करना व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- ✱ शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को विशेष महत्व प्रदान करना।
- ✱ शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु आवंटित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु सघन प्रयास एवं Vocational Training Programme Scheme को बढ़ावा देना।
- ✱ आरसेटीज संस्थानों की स्थापना हेतु प्रदेश शासन द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटन के साथ साथ बैंको द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, रोजगार सृजन, संकाय सदस्यों की उपलब्धता आदि पर विशेष जोर ताकि संस्थानों की ग्रेडिंग उच्च स्तर की रहे।
- ✱ ऑन लाईन क्रियेशन ऑफ चार्ज ऑन ऐग्रीकल्चरल लैन्ड।
- ✱ सभी किसान क्रेडिट कार्ड्स को ए.टी.एम. सक्षम बनाया जाना ताकि रूपे कार्ड के माध्यम से किसानों को सुविधा प्रदान की जा सके।

श्री अरुण सिंघल, आ.ई.एस., प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में बैंको द्वारा ऋण जमा अनुपात में दर्ज व्यापक वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुये आह्वाहन किया ऐसे -23- जनपद जिनमें ऋण जमा अनुपात अभी भी 30 प्रतिशत से कम है, में व्यापक सुधार हेतु बैंकर्स द्वारा विशेष प्रयास किये जाये। उन्होंने विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व सफलता हेतु सकारात्मक रवैया अपनाने पर बल दिया। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा महसूस की जा रही कनेक्टिविटी की समस्या पर श्री सिंघल ने कहा कि संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा इस विषय पर विस्तृत अनुश्रवण संबंधित विभाग के साथ किया जा रहा है ताकि समस्या का समाधान संभव हो सके।

श्री अरुण पसरिचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये आवश्यक कार्यवाही का आह्वाहन किया :-

- दिनांक 15.01.2013 को डा० डी. सुब्बाराव, माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में मार्च 2013 तक -300- नयी शाखाओं की स्थापना का निर्देश दिया गया था जो बैंकर्स व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से ससमय सम्पन्न किया गया है तथा सभी बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में मार्च 2014 तक कुल -3000- नयी शाखाओं की स्थापना हेतु जो लक्ष्य तय किया गया है उसका समयबद्ध कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- लीड बैंक योजनान्तर्गत वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के लक्ष्यों की रिपोर्टिंग हेतु एक नया प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप पर लक्ष्यों की सूचना व इसके सापेक्ष त्रैमासिक प्रगति की सूचना सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (FLCs) से संबंधित एक गाइड तथा विभिन्न पोस्टर तैयार किये गये हैं जिसका लाभ बैंको को लिया जाना चाहिये।



- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016 तक का वार्षिक Dissagregation Plan सभी बैंको के बोर्ड से अनुमोदित कर लागू किया गया है जिसके अनुसार लक्ष्यों की क्रमिक उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिये। 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन समय की मांग है ताकि आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
- डी.बी.टी. योजना का प्रभावी क्रियान्वयन व बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार।
- एम.एस.ई. सेक्टर के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त एम.आई.एस. की आवश्यकता।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा प्रेषित किये जाने वाले आकड़ों में समयबद्धता का पालन करने हेतु आवश्यक है कि सभी बैंक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार इनका प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करे ताकि एस.एल.बी.सी. आकड़ों को समेकित कर आर.बी.आई. को प्रेषित कर सके। बैंको के स्तर पर इस कार्य हेतु एक सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी चयनित किये जाना उचित होगा।
- राज्य सरकार द्वारा बैंको को सभी सम्भव सहयोग प्रदान करना ताकि बैंकर्स निर्धारित कार्य को सुगमता से क्रियान्वयित कर सके।
- करेन्सी मैनेजमेन्ट से संबंधित बिन्दुओं पर बैंको के स्तर से आर.बी.आई. द्वारा तय नियमों व दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना।

श्री एन. कृष्णन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- वार्षिक ऋण योजना 2012-13 के अन्तर्गत फसली ऋण वितरण की स्थिति विगत वर्ष के सापेक्ष बेहतर ही रही है यद्यपि लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सम्भव नहीं हो पायी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की उपलब्धि विगत वर्ष के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम रही है जिसका एक मुख्य कारण गैर निष्पादक आस्तियों का उच्च स्तर है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान इन बैंको ने ऋण वसूली हेतु अपना ध्यान केन्द्रित करते हुये सघन प्रयास किये हैं।
- वित्तीय साक्षरता बढ़ाने एवं सभी पात्र कृषकों को रूपे कार्ड जारी करने हेतु बैंको द्वारा प्रयास किये जाने एवं निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूर्ति हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- प्रदेश के -16- कोआपरेटिव बैंको की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। इन बैंको द्वारा आच्छादित जनपदों में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कॉमर्शियल बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को और अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अन्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंको का आह्वान किया।

इसी क्रम में वार्षिक ऋण योजना 2013-14 का विधिवत विमोचन किया गया जिसका आकार ₹96822.78 करोड़ है तथा नाबार्ड द्वारा तैयार पी.एल.पी. ₹101315.38 करोड़ का लगभग 96 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न ऐजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी।



कार्यसूची संख्या 1:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 14.03.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विगत बैठक दिनांक 14.03.2013 का कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 30.03.2013 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या 2 :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 14.03.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

(I) प्रदेश के सभी जनपदों में बैंकों द्वारा आरसेटी की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन

चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा मात्र -18- जनपदों में ही निःशुल्क भूमि के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शासन द्वारा सूचित किया गया कि -47- अन्य जनपदों में आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जायेगी जिसका प्रस्ताव शासन के विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(II) संबंधित लीड बैंकों द्वारा सभी लीड जिलों में आरसेटी व एफएलसीसी/ एफएलसी की स्थापना व बिल्डिंग का निर्माण

श्री एन. सी. शर्मा, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आरसेटीज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि अभी प्रदेश के -5- जनपदों में संबंधित लीड बैंको द्वारा अपनी आरसेटीज की स्थापना बाकी है जिसकी शीघ्र शुरुआत किया जाना आवश्यक है।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने अवगत कराया कि जनपद रायबरेली में आवंटित भूमि हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जा चुका है तथा बिल्डिंग निर्माण की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

श्री सुनील मेहता, महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक ने अवगत कराया कि जनपद सोनभद्र में आवंटित भूमि पहाड़ी पर स्थित है जिसपर निर्माण कार्य में अनेक बाधाएँ हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने इस प्रकरण पर विचार करने का आश्वासन दिया।

विस्तृत चर्चा के दौरान श्री के रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने कहा कि :-

- ✽ भूमि आवंटन इत्यादि से संबंधित मामलों को जनपद स्तरीय डी.सी.सी./डी.एल. आर.सी. बैठकों में उठाना चाहिये ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान सम्भव हो सके।
- ✽ -47- अन्य जनपदों में प्रदेश सरकार द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगामी -15- दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी।



- ✱ आरसेटी संस्थानों की बैंकवार ग्रेडिंग की गयी है तथा बड़ी संख्या में संस्थान "डी ग्रेड" में है। बैंको द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करते हुये 30.06.2013 तक इनमें सुधार कर "ए ग्रेड" में लाना है।
- ✱ आरसेटीज की व्यापक समीक्षा हेतु एक उप-समिति का गठन अनिवार्य है।

उक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुये श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) ने अवगत कराया कि प्रदेश में आरसेटीज की समीक्षा हेतु एक उप-समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है जो एन.आर.एल.एम. की प्रगति के साथ साथ आरसेटीज की समीक्षा भी करेगी।

डा० आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थानों की ग्रेडिंग से बैंको के उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये इनमें सुधार हेतु निर्देशित किया गया है। प्रदेश शासन द्वारा भूमि आवंटन के साथ साथ बैंका द्वारा अन्य मानकों में सुधार की आवश्यकता है ताकि संस्थानों की वर्तमान ग्रेडिंग में सुधार संभव हो सके।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने कहा कि उप-समिति की एक विशेष बैठक शीघ्र आयोजित कर इन मुद्दों का समाधान किया जाये। श्री अजय व्यास, उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं श्री ए. के. पलित, महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने आश्वस्त किया कि उनके विभिन्न संस्थानों की ग्रेडिंग में आवश्यक सुधार 30.06.2013 तक कर लिया जायेगा।

(III) सभी पात्र परन्तु वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना एवं आंकड़ों का मिलान

सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 51.64 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं जिसमें से नवीनीकरण की कार्यवाही 33.31 लाख मामलों में व नये कार्ड जारी करने की कार्यवाही 18.33 लाख मामलों में की गयी है। साथ ही प्रदेश के -10- जनपदों को संतृप्त घोषित किया जा चुका है तथा सभी पात्र मामलों में रूपे कार्ड 30.06.2013 तक जारी करने की कार्यवाही बैंको द्वारा शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

श्री अवधेश कुमार, उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने कहा कि कोआपरेटिव बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश अपेक्षित हैं।

श्री के. रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने अपेक्षा की कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जनपदवार प्रगति एस.एल.बी.सी. बैठको में प्रस्तुत की जाये तथा जनपद स्तरीय डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. बैठको में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये। उन्होंने प्राइवेट बैंको को भी योजनान्तर्गत लक्ष्य आवंटित किये जाने हेतु कहा।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) ने बताया कि निरन्तर अनुरोध के बावजूद कृषि निदेशालय, उ.प्र. द्वारा जनपदवार प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। बैंको से प्राप्त फीडबैक के अनुसार जनपदों में योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या लगभग नगण्य है

